न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 26/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/306**

दायर दिनांक :– 03.02.2022 **निर्णय दिनांक :– 28.01.2026**

1. चूनाराम पुत्र पाबूराम जाति मेघवाल निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. नारायणराम पुत्र पाबूराम जाति मेघवाल निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. पाबूराम पुत्र अलसीराम जाति मेघवाल निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. फूसाराम पुत्र पाबूराम जाति मेघवाल निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. मेघराज पुत्र पाबूराम जाति मेघवाल निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी

वादी संख्या 5 नाबालिग जरिये कुदरती माता हेमीदेवी पत्नी पाबूराम

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. दुर्गाराम पुत्र हड़मानराम जाति कुम्हार निवासी करणीनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. लक्ष्मी पत्नी हडमानराम जाति कुम्हार निवासी करणीनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. विजयकुमार पुत्र हडमानराम जाति कुम्हार निवासी करणीनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. श्रवणराम पुत्र हडमानराम जाति कुम्हार निवासी करणीनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. सिमरथाराम पुत्र मुकनाराम जाति कुम्हार निवासी करणीनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1.श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:निर्णयः–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आषय से पेश किया है कि ग्राम लूम्बासर पटवार क्षेत्र लूणा तहसील घंटियाली जिला फलौदी में प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 77/1 रकबा 10.9103 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 707/7 रकबा 7.6324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 701/1 रकबा 1.1901

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर ग्राम करणीनगर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलौदी में आई हुई है जिसके चिपते ही कटाण मार्ग स्थित हैं। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 77/1 रकबा 10.9103 हैक्टेयर की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 707/7 रकबा 7.6324 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 707/1 रकबा 1.1901 हैक्टेयर भूमि में से आना जाना पड़ता हैं। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था लेकिन अब वर्तमान में अप्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में उपयोग लिये जा रहे रास्ते को बंद कर दिया है। वर्तमान में प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि के चिपता कटाण मार्ग चलता है वहा तक पहुंच हेतु प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई।

तहसीलदार बाप की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना – (1) जहां–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उनका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है,

तो आदेश के द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह के कम से कम तीन फुट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट में से होकर एक नया मार्ग जो 30 फुट से अधिक चौड़ा नहीं, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिस में से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा किये जाने का अधिकार मंजूर किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा

(2) जहां उपधारा 1 के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में से अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में से ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखत कर दी जायेगी

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा 1 में से निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिस में होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगे।

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 आवेदन की जांच और निपटान– प्रारूप 1 में आवेदन प्राप्त होने पर उप–विभागीय अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या निरीक्षक भूमि अभिलेख के पद से नीचे के अधिकारी से निरीक्षण कराएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आपतियां आंमत्रित करेगा। उप विभागीय अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि–

(1) आवश्यकता परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आन्नद के लिए नहीं है तथा,

(2) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर नये रास्ते के मामले में, जिसमें पहुंच के वैकल्पिक साधनों का अभाव साबित हो जाता है, आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अथवा नहीं।

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

3. नया मार्ग लघुतम रूट है या नहीं।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम लूम्बासर के खसरा नम्बर 77/1 में पहुंच हेतु रास्ता की मांग की गई थी। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर दुबारा मौका रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट समस्त पक्षकारान को सूचित करते तैयार कर प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण के निकटतम कोई/सड़क नहीं था परन्तु आदिनांक को प्रार्थीगण के खेत खसरा के पड़ोसी खेत से लगते हुए कटाण पर डामर सड़क बन गई है एवं प्रार्थीगण पड़ोसी खेत से वर्तमान में रास्ता उपयोग कर आवागमन करता है और आपसी सहमति आ जा रहा है एवं प्रार्थीगण ने बताया कि हम इस रास्ते से सन्तुष्ट है ओर हमें धारा 251ए के अन्तर्गत वाद से रास्ता की आवश्यकता नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी संख्या 4 ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी किये है। प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि हम आगामी दिवस में वाद प्रत्याहरण कर लेगें परन्तु उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.11.2025 को पत्रावली में प्रस्तुत हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को प्रत्याहरण करने के संबंध में आदिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। चूंकि प्रार्थीगण की भूमि के चिपता वैकल्पित रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों बिन्दुओं का विवेचन करने के पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)